eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

लैंगिक समानता की स्थापना में जनहित याचिकाओं की भूमिका

[1]पूजा शुक्ला
[1]असिस्टेंट प्रोफ़ेसर राजनीति विज्ञान, भगवानदीन आर्यकन्या स्ना0 महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी

Received: 31 August 2023 Accepted and Reviewed: 31 August 2023, Published : 10 September 2023

Abstract

भारत एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाला देश है, जिसमें महिलाओं का स्थान केवल पुरुषों के उद्देश्यों की पूर्ति के साधन मात्र का होता है,गर्भ से ही कन्या को भेदभाव का शिकार बनना पड़ता है, और बचपन में भी उन्हें उन सभी खेलों सामानों से अलग रखा जाता है जिन पर उनका भी उतना ही अधिकार है,जितना अधिकार लड़कों का है, बहुत सी बच्चियां जो बचपन मे ही किसी यौन हिंसा का शिकार हो चुकी हैं या उनके साथ इस तरीके के कृत्य किए जा रहे है ऐसी स्थिति में भी परिवार उनको मनोदशा को समझने के स्थान पर उन्हें ही दोषी करार दे देते है, गर्भ से ही यह लैंगिक भेदभाव शुरू होता है जिसका कभी अन्त नहीं होता बचपन के खेल खिलौने मे या वेशभूषा सभी को लैंगिक आधार पर ही तय किया जाता है, किशोरावस्था तक आते आते लड़किया उसे ही सत्य मानकर अपना जीवन जीने लगती है, जिसमें तमाम तरह की बदिशें जैसे– घर से बाहर पढ़ने के लिए न भेजना, उच्च शिक्षा के लिए रोकना ,अपनी पसन्द के कपड़े पहनने पर रोकना,समय से घर आने का दबाव, घर के कामकाज की जिम्मेदारी, परिवार की आस्मिता को सुरक्षित रखने का दबाव ,उन पर थोप दी जाती है, जहाँ लड़को की जिदें पूरी होती है वहाँ लड़कियों की नितान्त आवश्यक जरूरते भी पूरी नहीं हो पाती और ऐसे ही धीरे–धीरे ये लैंगिक विषमता एक पराधीन, निर्णय लेने मे अक्षम, और पितृसत्ता को पीढ़ी दर पीढ़ी अग्रसारित करने वाली संरक्षिका को जन्म देती है, अब उस स्त्री की मूल्य व्यवस्था व सोचने का तरीका पितृसत्तात्मक हो चुका है, इसलिए जब हम कहते हैं कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की सबसे बड़ी शत्रु होती है तो उसके पीछे भी यही पितृसत्तात्मक मूल्य होते हैं, प्रसिद्ध नारीवादी विचारक सिमोन दी बुआ ने कहा है–"स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनायी जाती है"।

शब्द संक्षेप– जेंडर आधारित हिंसा, लैंगिक समानता, नारीवाद एवं जनहित याचिकाओं की भूमिका।

Introduction

इस प्रकार एक पत्नी अपने पति के लिए उपयोग व सन्तानोपाति का साधन मात्र बन जाती है, उसके घर के किसी निर्णय में शामिल नही किया जाता, उसके नितान्त निजी फैसले– जैसे नौकरी करना माँ बनना या गर्भपात करवाना, भी पुरुष लेता है, घरेलू हिंसा सहने के बाद एक स्त्री के पास उसी घर में रहकर सब कुछ सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, स्त्री निर्माण का यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, वर्तमान समय में महिलावादी आन्दोलनों व शिक्षा के विस्तार से महिलाओं में नवीन चेतना का विकास हुआ है, उनमें स्वयं के अस्तित्व व निर्माण का जज्बा देखा जा सकता है, आज महिलाएं पितृसत्ता की बेड़ियों को तोड़ समाज के बन्धनों से परे अपनी सशक्त दुनिया का सृजन कर रही है, और महिलाओं की इस चेतना को जागृत करने में उन्हे उनके विकास की बाधाओं को दूर करने में, नारीवादी आन्दोलनों घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम के साथ–साथ विभिन्न NGO*S द्वारा दाखिल की गयी जनहित याचिकाओं पर उच्च न्यायालय व

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए मील के पत्थर निर्णयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, महिलाएं ही नही सदियों से लैंगिक हिंसा व भेदभाव से जूझ रहे किन्नर वर्ग को भी गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया है, आज उन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है, वह समाज के अन्य वर्गो की तरह ही मुख्य धारा में सम्मिलित हो चुके हैं, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शाशक्तिकरण सम्भव हो सका है।

प्रस्तुत शोधपत्र में, न्यायालयों द्वारा जनहित वादो जो पर निर्णय लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, उन पर चर्चा की जाएगी इससे पहले हम न्यायिक सक्रियता और जनहित वाद पर बात करेंगे–

न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका की अग्रणी भूमिका को दर्शाती है चूंकि विधायिका और कार्यपालिका की अकमण्यता के जिसका उद्भव फलस्वरूप हुआ, इसके अन्तर्गत न्यायालय ने LOCUS STANDI में परिवर्तन करते हुए यह निर्देश दिए कि "अब पीड़ित पक्ष ही नही कोई भी व्यक्ति या संगठन जनहित का वाद लाकर उन्हें न्याय प्रदान करवा सकते हैं, इसी के साथ प्रक्रियागत जटिलताओं को दूर करते हुए एक सामान्य से पोस्टकार्ड पर पर भी जनहित याचिका लाई जा सकती हैं, और अति संवेदनशील व महत्वपूर्ण मामलों पर उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा त्वरित गति से निर्णय दिए जाते हैं। पीआईएल ने भारत की कानूनी प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है और जब इसका अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है, तो इसका समाज को बहुत लाभ होता है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जनहित याचिका प्रणाली के बारे में पता होना चाहिए कि वह क्या करता है और कैसे काम करता है।

जनहित याचिका क्या है? जैसा कि नाम से पता चलता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनता के हित के लिए मुकदमेबाजी है। इसे "सार्वजनिक हित" के संरक्षण या सुदृढीकरण के लिए किसी भी सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति द्वारा कानून की अदालत में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका के माध्यम से देश में प्रदूषण, महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा आदि जैसे विषय प्रभावित हुए हैं। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। एक अवधारणा के रूप में पीआईएल को अमेरिकी न्यायशास्त्र से ग्रहण किया गया है। पीआईएल को विशेष रूप से किसी अधिनियम या कानून में परिभाषित नहीं किया गया है और कई बार न्यायपालिका द्वारा इसकी व्याख्या की गई है, भारत में पहली जनहित याचिका 1976 (मुंबई कामगार सभा बनाम मैसर्स अब्दुलभाई फैजुल्लाबल्लभ और वतेप 1976 (3½ SCC 832) में दायर की गई थी, इसके बाद यह एक क्रांति के रुप में फ़ैल गई। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति भगवती के प्रयासों के कारण, पीआईएल की अवधारणा बहुत हद तक विकसित हुई है, और इसके कारण भारत में जनहितकारी सकारात्मक बदलाव हुए हैं।

जनहित याचिकाओं के माध्यम से वर्तमान समय में बहुत से मामलों पर निर्णय दिए जा चुके हैं, जिनसे वंचित वर्गों को भी न्याय प्राप्त कर पाना सम्भव हुआ है, पर्यावरण संरक्षण, मजदूरों से सम्बन्धित मामले, व लैंगिक समानता सभी पर न्यायालय ने अपने निर्णयों से सम्बन्धित वर्गों के हितों को संरक्षित किया है प्रस्तुत शोधपत्र लैंगिक समानता की स्थापना में जनहित वादों की भूमिका पर

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

केन्द्रित है, इसलिए आगे लैंगिक समानता को स्थापित करने में न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया जा रहा है– भारत की ऐतिहासिक जनहित याचिकाएँ पिछले 40 वर्षों में, पीआईएल एक सबसे बड़ा उपकरण है जो अधिकारों, निवारण और न्याय को लागू करने के लिए भारतीयों को उपलब्ध है। जिन्होंने लैंगिक समानता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है,प्रतिष्ठित पीआईएल मामलों और निर्णयों पर नीचे चर्चा की गई है।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य– विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जनहित याचिका में सबसे अधिक और व्यापक रूप से बात की जाए तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला है। भंवरी देवी ने बाल विवाह के खिलाफ एक सरकारी अभियान के तहत राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में 1 साल की लड़की की शादी रोकने का प्रयास किया था। स्थानीय समुदाय के सदस्यों ने भंवरी देवी को धमकियों और सामाजिक आर्थिक बहिष्कार और उसके कार्यों के परिणामस्वरूप उसके सामाजिक बहिष्कार के लिए परेशान करके इसका प्रतिशोध लिया। इसके बाद 22 सितंबर 1992 को 5 लोगों ने भंवरी देवी के साथ बलात्कार किया। जब भवरी देवी ने न्याय पाने की कोशिश की, तो उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। नैना कपूर, एक वकील, जिन्होंने भवरी देवी की आपराधिक सुनवाई में भाग लिया था, आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा उपचार प्रदान करने और पीड़ित की गरिमा को बहाल करने में असमर्थता से निराश थी, उसने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। विशाखा रिट 1992 में 5 गैर–सरकारी संगठनों के नाम पर दर्ज की गई थी, जिनमें राजस्थान राज्य के खिलाफ, भारत के महिला और बाल कल्याण विभाग और उसके संघ के साथ समाज कल्याण विभाग शामिल थे। इस प्रसिद्ध फैसले ने यौन उत्पीड़न को जीवन के मौलिक संवैधानिक अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता, गैर–भेदभाव के साथ–साथ किसी भी व्यवसाय को पूरा करने के अधिकार के स्पष्ट उल्लंघन के रूप में मान्यता दी।दिशानिर्देश लिखे गए, नियोक्ताओं की ओर निर्देशित और यौन उत्पीड़न को भी परिभाषित किया गया। दिशानिर्देश में उत्पीड़न की रोकथाम के कदम और शिकायत प्रक्रियाओं के विवरण की लैंगिक समानता के अधिकार के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए सभी कार्यस्थलों पर कड़ाई से देखा जाना चाहिए। इस प्रकार इस ऐतिहासिक फैसले ने महिला अधिकारों के अधिक से अधिक प्रवर्तन को बढ़ावा दिया देश में यौन उत्पीड़न कानूनों के विकास के लिए एक दिकसूचक रहा है। इस मामले को पथ–प्रदर्शक और क्रांतिकारी बताया गया है।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ– भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले ने ट्रांसजेंडर लोगों को 'तीसरा लिंग घोषित किया और यह भी पुष्टि की कि भारत के संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकार ट्रांसजेंडर के लिए समान रूप से लागू होंगे। इस मामले ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में अपने लिंग की स्व–पहचान का अधिकार दिया। यह भी कहा गया था कि नौकरियों, शिक्षा और अन्य सुविधाओं में आरक्षण भी उन्हें प्रदान किया जाएगा। इस फैसले को देश में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया है।

सबरीमाला – सबरीमाला भगवान अय्यप्पा. को समर्पित एक हिंदू मंदिर है ,यह मंदिर केरल में पथानमथिट्टा जिले की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में पेरियार टाइगर रिजर्व पर स्थित है त्रावणकोर

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

देवासम बोर्ड जो भारत के दक्षिणी भाग में लगभग 1200 मंदिरों का प्रबंधन करने वाली वैधानिक और स्वायत्त संस्था है,भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक सबरीमाला मंदिर का नियमित संचालन इसी के मार्गदर्शन में होता है।सबरीमाला मंदिर में हर साल 45–50 मिलियन से अधिक लोग आते हैं,1991 में केरल उच्च न्यायालय ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया ,10 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। अपने फैसले में, केरल भ्ू ने उल्लेख किया कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध अनादि काल से मौजूद था और केवल "तंत्री (पुजारी)" को ही परंपराओं पर निर्णय लेने का अधिकार था,

हालांकि इस प्रतिबंध को महिला वकीलों के एक समूह ने इस आधार पर चुनौती दी थी, कि महिलाओं को सार्वजनिक पूजा स्थल पर जाने से रोकना समानता, गैर–भेदभाव और धार्मिक स्वतंत्रता के आदर्शों का उल्लंघन है। जनवरी 2016 में, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर किए जाने के बाद मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया, बाद में इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के पास भेजा गया, जिसमें न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शामिल थे,पीठ ने 28 सितंबर, 2018 को प्रतिबंध हटा दिया और फैसला सुनाया कि सभी आयु वर्ग की महिलाएं केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं,4:1 के बहुमत से पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर प्रथा हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है और महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना लैंगिक भेदभाव है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शौचालयों का निर्माण– गुजरात उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शौचालयों के निर्माण की मांग करने वाली एक जनहित याचिका के जवाब में बुधवार को राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। इसमें कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें यह भी शामिल है कि केंद्र सरकार ने अलग–अलग शौचालयों के निर्माण के लिए धन जारी किया है, लेकिन आदेश अभी तक लागू नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में राज्यों को तीसरे लिंग के लिए अलग शौचालय बनाने का निर्देश दिया था। याचिका डॉ स्नेहा त्रिवेदी द्वारा उनके वकील विलाव भाटिया के माध्यम से दायर की गई थी, जिन्होंने एचसी के समक्ष तर्क दिया था कि राष्ट्रीय राज्य कानूनी प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में शीर्ष अदालत ने तीसरे लिंग को मान्यता दी है। इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को अस्पतालों में ट्रांसजेंडरों को चिकित्सा देखभाल और अलग सार्वजनिक शौचालय और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि जब तीसरा लिंग दूसरों के लिए बने शौचालयों का उपयोग करता हैं तो पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को एक निश्चित मात्रा में असुविधा और झिझक महसूस होती है। इसलिए, एक इंसान के रूप में, प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए शौचालय का उपयोग करते हुए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण का हकदार है। जब वे पुरुष या महिलाओं के लिए बने शौचालयों का उपयोग करते हैं, तो उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। उन्हें पुरुष शौचालयों का उपयोग करना पड़ता है जहां उनके यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न का खतरा रहता है। इसलिए, यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव,

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को कमजोर करता है जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। मैसूर, भोपाल और लुधियाना ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है और ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय बनाए हैं।

6 से 12 तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड की जनहित याचिका पर केंद्र, राज्यों से जवाब मांगा

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा। यूटीएस) ने एक जनहित याचिका पर देश भर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्राओं की स्वच्छता और स्वच्छता के गंभीर और महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, इसलिए वह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अदालत की सहायता करने का अनुरोध करती है, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस की पीठ बी नरसिम्हा ने मध्य प्रदेश की डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका पर ध्यान दिया और केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया,इसने जनवरी के दूसरे सप्ताह तक केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा और इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

याचिका राज्यों को उनके स्थायी वकीलों के माध्यम से भेजी जाए। ठाकुर ने वकील तरिंदर कुमार शर्मा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा कि 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को शिक्षा प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,संविधान का अनुच्छेद 21।.जो कि एक संवैधानिक अधिकार है, इसके अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने वाली किशोरियां गरीब पृष्ठभूमि से आती है। "ये किशोर महिलाएं हैं जो मासिक धर्म और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में अपने माता–पिता से सुसज्जित नहीं हैं और उन्हें शिक्षित भी नहीं किया जाता है। वंचित आर्थिक स्थिति और अशिक्षा के कारण अस्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर प्रथाओं का प्रचलन बढ़ जाता है जिसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम होते हैं अंततः स्कूलों से बाहर निकालना जैसे परिणाम सामने आते हैं।, "याचिका में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि लैंगिक समानता हासिल करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि लड़कियां अपनी शैक्षिक क्षमता को साकार करने में सक्षम हो, याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2018 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि इसने दिल्ली सरकार को स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक मुफ्त या सब्सिडी वाली पहुंच प्रदान करने और मासिक धर्म और मासिक धर्म स्वच्छता पर शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का आदेश दिया था,भारत सरकार शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के संबंध में कई वर्षों से विचार–विमर्श कर रही है। 1997 की सैकिया समिति को आर्थिक व्यवहार्यता प्रस्ताव की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था कि क्या 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है? इसे मौलिक अधिकार बनाया जा सकता है?याचिका में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया गया था और 26 अगस्त, 2009 से प्रभावी हुआ था।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

छह से 14 वर्ष के आयु वर्ग में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसमें कहा गया है कि सबरीमाला मंदिर मामले में शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले ने मासिक धर्म संबंधी वर्जनाओं को संबोधित किया और फैसला सुनाया कि जैविक मतभेदों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार जो अनुच्छेद 14– समानता के अधिकार का उल्लंघन है और इस बात पर जोर दिया कि मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार अस्पृश्यता का ही एक रूप है।

"मासिक धर्म के बारे में प्रचलित मिथक लाखों लड़कियों को जल्दी स्कूल छोड़ने या समाज से बहिष्कृत होने के लिए मजबूर करते हैं हर महीने उनके मासिक धर्म चक्र की अवधि के लिए। वे महिला श्रमिकों की नियुक्ति को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता है कि मासिक धर्म उनकी उत्पादकता क्षमताओं में बाधा डालता है दुर्भाग्य से, इसे चुप्पी और शर्म की संस्कृति में डूबे कई समाजों में वर्जित माना जाता है, "याचिका में कहा गया है। ठाकुर ने अपनी याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया और सभी सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में अलग शौचालय उपलब्ध कराने के लिए उन्हें निर्देश देने की मांग की। इसमें सभी सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में शौचालयों की सफाई के लिए एक सफाईकर्मी उपलब्ध कराने का निर्देश देने की भी मांग की गई मासिक धर्म स्वास्थ्य पर छात्रों के बीच जागरुकता कार्यक्रम का कार्यान्वयन की भी मांग रखी गई ।

अन्ततः भारत में जनहित याचिका का महत्व जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य गरीबों और गरीबों सहित आम जनता के लिए न्याय सुलभ बनाना तथा लैंगिक समानता को स्थापित कर महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों का संरक्षण करना है। यह एक व्यक्ति को मानवाधिकारों को लागू करने में सक्षम बनाता है यदि उन्हें अस्वीकार कर दिया गया हो। यह सभी के लिए न्याय की पहुंच का लोकतंत्रीकरण करता है। कोई भी व्यक्ति नागरिक एजेंसी जो सक्षम है, उन व्यक्तियों की ओर से याचिका दायर कर सकता है जो ऐसा नहीं कर सकते, या ऐसा करने का साधन नहीं है। पीआईएल जेलों, आश्रमों, सुरक्षात्मक घरों आदि जैसे राज्य संस्थानों की निगरानी करने में भी मदद करता है।

प्रस्तुत शोध पत्र लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को समझ पाने में सहायक सिद्ध होगा। गए निर्णयों को समझ पाने में सहायक सिद्ध होगा।